

## कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक- 009/वन्दन योजना/नि0कार्य/ई-टेण्डर/2024-25

दिनांक 20 नवम्बर, 2024

### पुनः अल्पकालिक ई-निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद, बहराइच में वर्ष 2023-24 में वन्दन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निम्न लिखित कार्य हेतु जी0एस0टी0 रहित आनलाइन निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 24.11.2024 को अपरान्ह 2:30 बजे से दिनांक 16.12.2024 को अपरान्ह 3:00 बजे तक निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों 'ए' एवं 'बी' श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों (जिन्हें छादक, बेन्च, एल0ई0डी0 लाईट के कार्यों का सममूल्य अथवा अधिक का अनुभव हो) से प्रतिशत दर के आधार पर निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन आमन्त्रित की जाती है। उक्त अवधि में ही ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर डाउनलोड करके अपलोड की जा सकती है। कार्य की जमानत धनराशि आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से नगरपालिका परिषद बहराइच के एच0डी0एफ0सी0 बैंक स्थित खाता संख्या- 50100494491581 IFS code HDFC0007523 में जमा की जायेगी अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के पक्ष में बन्धक हो, भी स्वीकार किये जायेंगे। निविदा मूल्य आनलाइन ही जमा करना होगा। आनलाइन अपलोड की गयी प्रत्येक निविदा से सम्बंधित अभिलेखों (जैसे जमानत धनराशि/निविदा मूल्य जमा रसीद, हैंसियत/चरित्र प्रमाण पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) को ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष रू0 40.00 लाख तक 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एवं रू0 40.00 के पश्चात कार्य की लागत की अवशेष धनराशि के सापेक्ष 05 प्रतिशत जमानत धनराशि आनलाइन अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा कराना होगा। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 16.12.2024 को अपरान्ह 4:00 बजे आनलाइन खोली जायेगी। अपलोड की गयी ई-निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, बहराइच को होगा। तकनीकी बिड में अर्ह पाये गये निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेण्डर पोर्टल पर खोलने हेतु अपलोड की जायेंगी। सम्बंधित निविदा सूचना नगरपालिका परिषद, बहराइच की वेब साइट - [WWW.bahraichnpp.in](http://WWW.bahraichnpp.in) पर उपलब्ध है। कार्य का विवरण, अनुमानित लागत, धरोहर राशि/जमानत धनराशि, निविदा मूल्य सहित निम्नवत् है-


क0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जीएसटी सहित) (धनराशि रू0 लाख में)	अनुमानित लागत (जीएसटी रहित) (धनराशि रू0 लाख में)	धरोहर /जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	जी0एस0टी0 18 %	ई-टेण्डरिंग शुल्क	निविदा प्रपत्र का कुल मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगरपालिका परिषद बहराइच के मो0 सलारगंज में गुल्लावीर मन्दिर के सामने काली मन्दिर के पास श्रद्धालुओं के लिए शेड (छादक) का निर्माण व प्रकाश व्यवस्था एवं बैठने हेतु बेन्च लगवाये जाने का कार्य।	63.039	53.423	467116.00	2671.00	481.00	534.00	3686.00	04 माह

#### नियम व शर्तें-


- ई-निविदादाता द्वारा उक्त कार्य की धरोहर राशि/जमानत धनराशि एवं निविदा मूल्य की धनराशि को अलग-अलग नगरपालिका परिषद बहराइच के इण्डियन बैंक शाखा डिगिहा स्थित खाता संख्या- 50100494491581 IFS code HDFC0007523 में आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करके जमा रसीद /यू0टी0आर नम्बर ई-निविदा पोर्टल पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- ई-निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैंसियत प्रमाण पत्र व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (जो निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एवं निर्माण कार्यों हेतु किसी भी विभाग में फर्म के पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0, पैन कार्ड, श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित शपथ पत्र ई-टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र एवं आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट की मूल जमा रसीद कार्यालय में जमा करना होगा।
- समस्त निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी।

- 4- निविदादाता द्वारा जमानत धनराशि (कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष रू 40.00 लाख तक 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एवं रू 40.00 के पश्चात कार्य की लागत की अवशेष धनराशि के सापेक्ष 05 प्रतिशत जमानत धनराशि आनलाइन अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा कराना होगा) एवं निविदा मूल्य की धनराशि को आनलाइन अपने स्वयं के बैंक खाते से ही पालिका के उक्त वर्गित बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य किसी के बैंक खाते से जमा की गयी धनराशि मान्य नहीं होगी।
- 5- ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में 'एव श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 6- प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता को अनुबन्ध से पूर्व नगरपालिका परिषद, बहराइच में नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा तदोपरान्त नियमानुसार कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- 7- स्थल पर कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों की जांच ठेकेदार को अपने खर्च पर स्वयं करानी होगी।
- 8- निविदा की धनराशि में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
- 9- उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन-तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आन लाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- 10- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11- निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- 12- किसी भी पंजीकृत ठेकेदार का ठेका स्वीकृत होने /कार्यदेश निर्गत होने के पश्चात यदि कमी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण पत्रों )/नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 13- निविदा में भाग लेने वाले पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों को निविदा सूचना में अंकित निर्माण कार्य के सम्बंध में अनुभव प्रमाण पत्र जो निविदा लागत के बराबर या उससे अधिक हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 14- स्थलीय सत्यापन के दौरान यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो सम्बंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा तत्काल कार्य को मानक के अनुरूप निर्देशानुसार तत्काल ठीक कराना होगा अन्यथा कराये गये कार्य का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 15- प्राप्त किसी भी ई-निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बंध में किसी भी ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदा मूल्य नान रिफण्डेबुल है।
- 16- उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार ही स्थल पर मानक के अनुरूप गुणवत्ता परक कार्य निविदादाता को कराना होगा।
- 17- इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूट-फूट होती है तो निर्माण कार्यों के पूर्णतः की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
- 18- स्वीकृत कार्य को अनुमोदित आगणन की धनराशि पर ही पूर्ण कराया जायेगा।
- 19- कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- 20- स्थल पर कार्य के प्रगति पर होने अथवा पूर्ण होने के उपरान्त शासन द्वारा अनुदान की उपलब्धता के आधार पर एवं उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 21- तकनीकी बिड में अर्ह पायी गयी निविदाओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई-टेंडर पोर्टल पर खोली जायेंगी।
- 22- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 23- यदि उक्त तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
- 24- शासनादेश सं0- 01/2018/3070/78-2-2018/42 IT/2017(22) दिनांक 03.01.2018 में निहित निर्देशों के क्रम में निविदादाता को वित्तीय निविदा खुलने से पहले अथवा तीन दिन बाद निविदा से सम्बंधित मूल अभिलेख डाक द्वारा अथवा स्वयं कार्यालय उपस्थित होकर जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में अपलोड की गयी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। साथ ही ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड की गयी बिड को भी साथ में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 25- निविदादाता को गत 05 वर्षों में से किन्ही तीन वर्षों का लाम-हानि विवरण तथा वार्षिक टर्न ओवर जो सी0ए0 तथा आडिटर द्वारा निर्गत किया गया हो उपलब्ध कराना होगा।
- 26- निविदादाता को निविदा अपलोड करने के पश्चात बिड से सम्बंधित स्वः प्रमाणित मूल प्रपत्र नोटरी शपथ पत्र सहित इस प्रमाण के साथ देना होगा कि अपलोड की गयी निविदा में दी गयी समस्त जानकारियों सत्य है।
- 27- निविदादाता को रू 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से यह प्रमाण देना होगा कि निविदादाता के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा नहीं है और न ही निविदादाता बार कौन्सिल में रजिस्टर्ड है।
- 28- निविदादाता को अपनी फर्म के पैड पर अपना अधिकृत पत्र व्यवहार का पता, ई-मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराना होगा।
- 29- निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष रू 40.00 लाख तक 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एवं रू 40.00 के पश्चात कार्य की लागत की अवशेष धनराशि के सापेक्ष 05 प्रतिशत जमानत धनराशि आनलाइन /एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 /सी0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा।
- 30- कार्य कराये जाने के पश्चात भुगतान बिल से परफारमेन्स सिक्योरिटी की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- 31- निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित कार्य का अनुभव हो एवं किसी सरकारी संस्था में कराये गये इसी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- 32- निविदादाता न्यूनतम निविदादाता की श्रेणी में तमी आयेगा जब उसके द्वारा अपलोड की गयी बिड कपेसिटी निविदा दाता के कुल बिड वैल्यू तक एवं उससे अधिक हो।

- 33- निविदादाता को रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें निविदा में अंकित कार्य को कराये जाने हेतु उसके पास स्वयं के उपकरण अथवा किराये पर लिए जाने से सम्बंधित अनुबन्ध एवं स्वामित्व का उल्लेख करना होगा।
- 34- निविदादाता को रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास कार्य कराये जाने हेतु तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है।
- 35- निविदादाता को ई0पी0एफ0 अथारिटी द्वारा निर्गत ई0पी0एफ0 प्रमाण पत्र एवं ई0एस0आई0सी0 प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराना होगा।
- 36- कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना होगा, बिलम्ब की स्थिति में सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा समय वृद्धि प्रदान की जा सकती है।
- 37- ऐसे राज्यपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा से 02 साल सेवानिवृत्त के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य कराते हुए पाये जायेंगे तो सज़ान में आते ही उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 38- पालिका अधिकारी, अध्यक्ष, सभासद के प्रथम ब्लड रिलेशन एवं उनके स्प्राउसेस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।



( प्रमिता सिंह )  
अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
बहराइच।



( सुधा देवी )  
अध्यक्ष  
नगरपालिका परिषद  
बहराइच।

पू0सं0 व दिनांक- उपरोक्त  
प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय बहराइच को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- नगरपालिका परिषद, बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।



अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
बहराइच।